फा.सं. 42/15/2016-पी एंड पी डब्लू (जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003
दिनांक: 28 दिसंबर, 2016

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति- 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन में दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी संशोधित दर।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 16.11.2016 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.07.2016 से केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन के 2% की दर से देय होगी। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 (iii) में यह भी उल्लेख किया गया था कि ये आदेश, वर्ष 2016 से पहले के वेतनमान/ वेतन में प्रोविजनल पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होंगे।

2. तत्पश्चात, इस विभाग ने इस विभाग के दिनांक 04.08.2016 के का.ज्ञा. सं. 38/37/2016- पी एंड पी डब्लू (ए) (ii) में निहित निर्देशों के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतन के आधार पर स्वीकृत प्रोविजनल पेंशन में संशोधन के लिए दिनांक 30.11.2016 के का.ज्ञा.सं. 38/49/2016-पी एंड पी डब्लू (ए) द्वारा आदेश जारी किए हैं।

3. तदनुसार, जो पेंशनभोगी प्रोविजनल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनकी प्रोविजनल पेंशन में इस विभाग के दिनांक 30.11.2016 के का.ज्ञा.सं. 38/49/2016-पी एंड पी डब्लू (ए) के अनुसार संशोधन किया गया है, वे भी इस विभाग के दिनांक 16.11.2016 के का.ज्ञा.सं. 42/15/2016-पी एंड पी डब्लू (जी) के अनुसार संशोधित प्रोविजनल पेंशन पर महंगाई राहत पाने के पात्र होंगे।

4. मंहगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

5. प्रत्येक पृथक मामले में देय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने की जिम्मेदारी पेंशन संवितरण प्राधिकरणों की होगी ।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार ।

2. पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट **<u>http://pensionersportal.gov.in</u>** देखें।